

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 34-2020] CHANDIG	ARH, TUESDAY, AUGUST 25, 2020 (BHADRA 3, 1942	SAKA)	
	CONTENTS		Pages
PART I— Notifications, Ord	lers and Declarations by Haryana Government		1983-2026
PART I-A— Notifications by L	ocal Government Department		Nil
PART I-B— Notifications by C	Commissioners and Deputy Commissioners		Nil
•	tions of Election Commission of India— as and Republications from the Gazette of India		Nil
PART III— Notifications by F and Notices	High Court, Industries, Advertisements, Change of Name		323-327
PART III-A—Notifications by Universities			
PART III-B—Notifications by Courts and Notices			Nil
PART IV— Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India			Nil
PART V— Notifications by Haryana State Legislature			Nil
SUPPLEMENT PART I— STA	ATISTICS—		Nil
SUPPLEMENT PART II—Ger	neral Review-		Nil
LEGISLATIVE SUPPLEMENT —Contents			(lii)
Ditto	PART I—Act		Nil
Ditto	PART II—Ordinances		Nil
Ditto	PART III—Delegated Legislation		177-178
Ditto	PART IV—Correction Slips, Republications and Replacem	nents	Nil



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 34-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 25, 2020 (BHADRA 3, 1942 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

आदेश

दिनांक 30 जुलाई, 2020

क्रमांक 26/4/1999—2 विद्युत.— भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए हिरयाणा सरकार विद्युत संस्थापनाओं से सम्बन्धित निरीक्षण, परीक्षण के लिए तथा सामान्य सेवाएँ जो बिजली निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाती हैं के लिए फीस की निम्नलिखित अनुसूची से अधिसूचित करते हैं:--

अनुसूची क (आरम्भिक निरीक्षण के लिए फीस)

निरीक्षण के लिए किसी भी उत्पादन केन्द्र प्राप्त केन्द्र या अन्य स्थान के परीक्षण की जाँच करना जहाँ विद्युत उर्जा उत्पादित की जाती है, प्रसारित की जाती है, प्राप्त की जाती है या 100 वोल्ट (कम,मध्यम, उच्च तनाव और अतिरिक्त उच्च तनाव, स्थापना से संबंधित) से अधिक की दर से वितरित की जाती है ट्रांसफार्मर, प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से सेट और मोटर से पैदा करना) नीचे बताई गई फीस ली जाएगी।

1	25 किलोवोल्ट एम्पेयर तक तथा सहित सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता	शून्य
2	25 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता किन्तु100 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	850 / —क्तपये
3	100 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता किन्तु 500 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	2100 / —क्तपये
4	500 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता किन्तु 1000 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	4150 / —रूपये
5 (ক)	1000 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता	प्रति अतिरिक्त 100 किलोवोल्ट एम्पेयर या उसका भाग 4150 +100 रूपये
(ख)	उस की क्षमता को बढ़ाए बिना किसी संस्थापन में प्रत्येक प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए	200 / रूपये

टिप्पणी:— उत्पादन केन्द्र या अन्य स्थान के मामले में जहाँ विद्युत उर्जा उत्पादित की जाती है, वहां फीस अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा भुगतान की जाएगी, या प्राप्त केन्द्र में उर्जा उत्पादन करने वाले व्यक्ति की दशा में, फीस स्वामियों द्वारा भुगतान की जाएगी।

अनुसूची ख

मौके पर कार्यान्वित अतिरिक्त उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, मध्यम तथा निम्न वोल्टता लाइनों के निरीक्षण, जाँच या परीक्षण के लिए नीचे बताई गई प्रत्येक के लिए फीस ली जाएगी।

(i)	निम्न वोल्टता, मध्यम, उच्च वोल्टता, तथा अतिरिक्त उच्च वोल्टता लाइनों के लिए निरीक्षण फीस	100 / —रूपये प्रति किलोमीटर	
अनुसूची ग			
1	निरीक्षण के लिए शुल्क, सीईए की धारा 63 (सुरक्षा और बिजली की आपूर्ति के संबंधित उपाय) विनियम 2010 और उसके संशोधन के अनुसार ओवरहैड लाईनों या भूमिगत केबलों के परिवर्तन की लागत का आकलन।	250 / —रूपये	

फीस व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाएगी जो नए निर्माण या संरचना परिनिर्माण या बाढ़ बैंक बनाने या किसी सड़क स्तर को बढ़ाने या किसी अन्य प्रकार के कार्य को करने का प्रस्ताव रखता है चाह स्थायी या अस्थायी जोड़ या परिवर्तन।

अनुसूची घ

उर्जा मीटर के परीक्षण के लिए नीचे बताई गई प्रत्येक के लिए फीस ली जाएगी।

1	सिंगल फेस मीटर का परीक्षण	
(i)	50 एम्पेयर तक तथा सहित	100 / —रूपये
(ii)	50 एम्पेयर से अधिक	150 / —रूपये
2.	पौली फेस मीटर परीक्षण के लिए	
(i)	50 एम्पेयर तक तथा सहित	200 / —रूपये
(ii)	50 एम्पेयर से अधिक	250 / - रूपये

टिप्पणीः यदि मीटर उपभोक्ता के परिसर पर परीक्षित किया जाता है, तो खण्ड 1 तथा 2 में विहित फीस की दुगनी राशि ली जाएगी। फीस पक्षकार द्वारा भुगतान की जाएगी, जो परीक्षण के लिए अनुरोध करता है।

अनुसूची ड़

निम्नलिखित के सम्बन्ध में आवेदक के परिसरों पर दबाव परीक्षण करने के लिए नीचे बताई गई प्रत्येक के लिए फीस ली जाएगी।

(i)	निम्न दबाव संस्थापन	200 / —रूपये
(ii)	मध्य दबाव संस्थापन	400 / —रूपये
(iii)	उच्च दबाव संस्थापन	850 / —रूपये

टिप्पणी:— i स्विचिंगयर में जुड़े नियंत्रण केबल और जंपर्स के साथ फ़्यूज, आइसोलेटर्स, सिर्कट ब्रेकर्स, लाइटनिंग अरेकर्स, प्रोटेक्शन सीटी और पीटी शामिल है।

ii यदि वोल्टेज के एक ही वर्ग का एक से अधिक स्विचिगयर या तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक या माध्यमिक पक्ष या एक जनरेटर से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक पक्ष के सभी स्विचिगयर को शुल्क की गणना के उद्देश्य से एकल माना जाएगा।

अनुसूची च

1.	सरकार को, मुख्य बिजली निरीक्षक / बिजली निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध, अपील दर्ज करने के लिए	200 / —रूपये
2.	उपभोक्ता द्वारा बिजली निरीक्षक को अपील दायर करने के लिए आपूर्तिकर्ता की कार्रवाई के खिलाफ शुरू करने, गिरने या उसके परिसर में बिजली की अपूर्ति की सिफारिश करने के लिए कि स्थापना दोषपूर्ण है या खतरनाक होने की सभावना है (खंड) सीईए के 38 (सुरक्षा और बिजली की अपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010 और इसके संशोधन)।	400 / —क्तपये

टिप्पणी

- यदि प्रारम्भिक निरीक्षण के कारण में, जो भी हो, द्वितीय या पश्चात्वर्ती निरीक्षण आवश्यक है, तो पुनः निरीक्षण फीस प्रारम्भिक निरीक्षण के लिए प्रभारित फीस की राशि के दुगनी तक होगी।
- 2. किलोवोल्ट से किलोवोल्ट एम्पेयर से सम्बद्ध भार प्रवर्तित करने के लिए उस समय विद्युत उपयोगिता में चालू विद्युत गुणक को निरीक्षण फीस की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।
- 3. पुनरीक्षित दरें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।
- 4. ये पुनरीक्षित दरें इन दरों के लागू होने की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 20 प्रतिशत तक आगे बढ़ाई जाएगी।

टी० सी० गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Order

The 30th July, 2020

No. 26/4/1999-2 Power.— In exercise of the powers conferred under the Electricity Act, 2003, Haryana Government hereby notifies the fees payable for testing and inspection of electrical installation and generally for the services provided by the Electrical Inspector as per following schedules:-

Schedule A

(Fees for initial Inspection)

For an inspection, examination of test of any generating station, receiving station of other place in which energy is generated, transmitted, received or distributed at a rate exceeding 100 volts (Low, Medium, High tension and extra tension, installations pertaining to the transformers, generating sets and motors separately for each category of installations), the fees as mentioned below shall be charged:-

1	Connected load/installed capacity upto and including 25 Kilo Volt Ampere.	Nil
2	Connected load/installed capacity exceeding 25 Kilo Volt Ampere including but not exceeding 100 Kilo Volt Ampere.	₹ 850/-
3	Connected load/installed capacity exceeding 100 Kilo Volt Ampere including but not exceeding 500 Kilo Volt Ampere.	₹ 2100/-
4	Connected load/installed capacity exceeding 500 Kilo Volt Ampere including but not exceeding 1000 Kilo Volt Ampere.	₹ 4150/-
5(a)	Connected load/installed capacity exceeding 1000 Kilo Volt Ampere.	₹ 4150/- + ₹ 100/- per additional 100 Kilo Volt Ampere or part thereof.
(b)	For every alternation or replacement in an installation without increasing the capacity of the same.	₹ 200/-

Note: In case of generating station or other place where electrical energy is generated, the fee shall be paid by the licensee, or the person generating the energy, while in the case of a receiving station, the fee shall be paid by the owners.

Schedule B

For an inspection, examination or test of Extra High tension, High Tension, Medium and Low Tension Lines carried on the support, fees as mentioned against each, below shall be charged:-

1	Inspection fees for LT/MV/HV/EHV line	₹ 100/- per Kilometer
---	---------------------------------------	-----------------------

Schedule C

1	Fees for inspection, estimating the cost of alteration of overhead lines or	₹ 250/-
	underground cables as per section 63 of the CEA (Measures relating to safety and	
	electric supply) Regulations 2010 ad its amendment thereof.	

The fee shall be paid by the person who proposes to erect a new building or structure or flood bank or raise any road level or to carry out any other type of work whether permanent or temporary addition or alteration.

Schedule D

For testing of Energy Meter, fees as mentioned against each, below shall be charged:-

1	Testing of single phase meter.	
(i)	Upto and including 50 ampere	₹ 100/-
(ii)	Above 50 ampere	₹ 150/-
2	For testing poly phase meter.	
(i)	Upto and including 50 ampere.	₹ 200/-
(ii)	Above 50 ampere.	₹ 250/-

Note: If a meter is to be tested on the consumer's premises, the fees equivalent to double as prescribed in clauses 1 and 2 shall be paid by the party, requesting for the test.

Schedule E

For inspection or examination of switchgears at various pressures on the applicant's premises, fees as mentioned below against each, shall be charged:-

1	Low Pressure Installation.	₹ 200/-
2	Medium Pressure Installation.	₹ 400/-
3	High or Extra High Pressure Installation.	₹ 850/-

Note: i The switchgear includes Fuses, isolators, circuit breakers, lightening arrestors, protection CTs & PTs along with connected control cables and jumpers.

ii If more than one switchgear of the same class of voltage is connected either to primary or secondary side of the transformers or to a generator, all the switchgears at each side shall be considered as single for the purpose of calculation of fees.

Schedule F

1.	For filing an appeal against the order of Chief Electrical Inspector/ Electrical Inspector, to State Government	₹ 200/-
2.	For filing an appeal to Electrical Inspector by the consumer against the action of the supplier in declining to commence, to continue or recommence the supply of electricity to his premises on the grounds that the installation is defective or is likely to be dangerous (clause 38 of CEA (Measures relating to safety and electric supply) Regulations, 2010 and its amendments).	

Note:

- 1. In case, a second or subsequent inspection is necessitated due to any reason whatsoever, the re-inspection fee shall be double the amount, charged for initial inspection.
- 2. For converting the connected load in Kilo Watt to Kilo Volt Ampere, the power factor prevailing in the power utilities at that time, shall be taken into account for the purpose of calculation of inspection fee.
- 3. The revised rates shall be applicable with effect from the date of the notification.
- 4. These revised rates would further be increased by 20% after every three years from the date of applicability of these rates.

T. C. GUPTA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Power Department.